



SRLT
INSTITUTE OF PHARMACY AND MANAGEMENT

Ref.....

Date.....

SRLT/PR/IBTE/2022-09/0180

18.09.2022

To,
The Secretary
Board of Technical Education
LUCKNOW (U.P.)

Sub: Regarding the approval of PCI for the session 2022-23

Sir,

This for your kind information that the approval of PCI for the session 2022-23 for our college is under process and as per the circular of PCI on dated 29/08/2022, with ref no 13107, they have extended the time of approval process till 30/11/2022. A copy of the same is attached herewith for your reference. Therefore kindly do the needful to extend for the submission of approval letter till we received it from PCI.

Yours faithfully


Principal

SRLT Institute of Pharmacy and Management,
Etawah (U.P.), College code- 3020

Principal
SRLT Institute of Pharmacy And Management
Block, NH-2, Ekdil-Etawah (U.P)-206126

NH-2, EKDIL - ETAWAH - 206126 (U.P) INDIA

Email: director@it171@gmail.com | principalsrlt2019@gmail.com

Web: www.srlteducation.com

Ph: 05688-297660, 297670 | Mob: 7088369471, 7088369472



PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(Constituted under the Pharmacy Act, 1948)

E-MAIL : registrar@pci.nic.in
WEBSITE : www.pci.nic.in
Telephone : 011-61299901
011-61299902
011-61299903

NBCC Centre, 3rd Floor,
Plot No.2, Community Centre
Mas Anandamai Marg
Okhla Phase I
NEW DELHI - 110 020

Ref.No.14-56/2022-PCI / 13107

Date - 29.08.2022.

To

All the -

1. State Governments
2. Examining Authorities
3. Admission Making Authorities

**Sub: Extension of time for completion of approval and appeal process
2022-2023 for existing institutions.**

Ref: Judgement dt.26.8.2022 passed by Hon'ble Supreme Court in Miscellaneous
Application No.1379/2022 in C.A. No. 9048/2012.

Sir/Madam

The Hon'ble Supreme Court has extended the last date for completion of approval process for
existing pharmacy institutions upto 30.10.2022 and appeal process till 30.11.2022 as
requested by PCI in prayer clause (a).

A copy of the judgement is enclosed as Annexure-I.

Yours faithfully

(ARCHANA MUDGAL)
Registrar-cum-Secretary

ITEM NO. 13

COURT NO. 13

SECTION IX

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

Miscellaneous Application No. 1379/2022 in C.A. No. 9048/2012

(Arising out of impugned final judgment and order dated 17-04-2014
in C.A. No. No. 9048/2012 passed by the Supreme Court Of India)

FARHAVANATH CHARITABLE TRUST

Petitioner(s)

VERSUS

ALL INDIA COUNCIL FOR TECH. EDU & ORS.

Respondent(s)

(FOR ADMISSION and IA No.100450/2022-EXTENSION OF TIME)

Date : 26-08-2022 This petition was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE B.R. GAVAI

HON'BLE MR. JUSTICE PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA

For parties:

Mr. Jatin Savari, AOR
Mr. Sunil Fernandes, AOR

Mr. Tunhar Mehta, SQ
Mr. Kirtiman Singh, Adv.
Mr. Gaurav Sharma, AOR
Mr. Waji Alli, Adv.
Ms. Manmeet Kaur Sareen, Adv.
Mr. Prateek Bhatia, Adv.

Mr. Anil Soni, Adv.
Mr. Harish Pandey, AOR

Ms. Pratibha Jain, AOR

Ms. S. Ramamani, AOR

M/S. Lawyer S Rnit & Co, AOR
Mr. Shree Pal Singh, AOR
Mr. Navin Prakash, AOR
Mr. Satish Kumar, AOR
Mr. Gopal Singh, AOR
Mr. Siddharth Single, AOR

Mr. G. Prakash, AOR
Mr. Anu K. Joy, Adv.
Mr. Alim Anvar, Adv.



Mr. Sanand Ramakrishnan, AOR
Mr. Chandra Prakash, AOR
Mr. Gaurav Sharma, AOR
Mr. Mritunjay Kumar Sinha, AOR
Mr. Ajay Choudhary, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

For the reasons stated in the application, the miscellaneous
application is allowed in terms of prayer Clause (a).

(DEEPAK SINGH)
COURT MASTER (SH)

(ANJU KAPOOR)
COURT MASTER (NSH)

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3020-SRLT INSTITUTE OF PHARMACY AND MANAGEMENT, BIRARI, NH-2, EKDI, ETAWAH-208126

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उ० प समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक SRLT INSTITUTE OF PHARMACY AND MANAGEMENT, BIRARI, NH-2, EKDI, ETAWAH-206126


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्नेली फाउन्डेशन ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विभागीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्देन-3 में विस्तार इन कार्नेली फाउन्डेशन स्थापित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित क्विंटोमा इन कार्नेली फाउन्डेशन संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईए द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उनके नाम को सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय को अनुमोदन में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीसीआईए/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	1020	क्विंटोमा फाउन्डेशन इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद-2 इलाहाबाद, उप्र।	विशेष इन कार्नेली	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईए/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करने की।
- ✓ सत्र 2020-21 प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1002 या प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1002, परिषद विनियमवली-2010 सत्र 2019-20 में निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करने की तथा सुक विभागीय समिति द्वारा निर्धारित सुक हीन शर्तों वृद्धि पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 20-160.00/- प्रतिवर्ष की सर्वोच्च कार्नेली पर्यटकन हेतु 10-40.000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लखा से अधिक कार्नेली पर्यटकन (दो वर्षीय कार्नेली पर्यटकन को अतिरिक्त) हेतु 10-22.500

(Handwritten mark)

60 प्रतिवर्ष सुल्हा ही वार्षिक छत्र/छात्र से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छत्र/छात्रों से सुल्हा के सम्बन्ध में समग्र-समाप्त पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनपत्र प्रकाशित होंगे, जो अनुसूचित जातों/जाति के लिए लागू लागू होगा। वीर विहोर सशस्त्री द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु वीर का पुनर्विचार किया जाता है, तो वीर की नवीनता पर ध्यान दी जाये।

- ✓ सुल्हा को (सुल्हा) प्रतिवर्ष प्राप्त अधिकारी तथा उन अधिकारी, सम्बन्धी को सम्बद्ध किया जाये। विनियमन-2000 को धारा 14 अनुसूचित जाति/जाति।
- ✓ सुल्हा में सुल्हा प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। वीरों के लिए यह करने को विधि में उचित प्रवेश कारणों की निर्दिष्टानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सुल्हा को समग्र-समाप्त पर निर्गत शासनपत्रों से अनुसूचित जाति/जाति एवं सम्बद्धता सुल्हा प्राप्त करने होगा।
- ✓ सुल्हा को एम्प्लॉयमेंट/एम्प्लॉयमेंट से आगामी वर्ष हेतु अनुसूचित जाति किया जायेगा अथवा होगा।
- ✓ सुल्हा प्राप्त प्रवेश कारणों द्वारा बनाये गये विधि/विधियों/अधिकारों/शासनपत्रों/निर्देशों एवं निर्देशों अतिरिक्त विधि, 2000, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परीक्षा, 2000 तक प्रतिवर्ष प्राप्त परीक्षा, 2000 द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का ध्यान करने को विधि प्राप्त होगी।
- ✓ विधियों इन कार्यवाही पर्याप्तता की सम्बन्ध यदि वीरों/जाति, यदि विधि से अनुसूचित जाति करने में आसक्ति होती है तो इन संधि में समस्त शासनपत्रों सम्बन्ध का ध्यान और विधि से वीरों की कार्यवाही को विधि सुल्हा प्राप्त शासनपत्रों होगी। अतिरिक्त विधि परीक्षा, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परीक्षा, अतिरिक्त विधि निर्दिष्टानुसार एवं अतिरिक्त विधि विधि प्राप्त प्रवेश कारणों को कोई एक कारण किया जाता है तथा प्राप्त कर के संधि में या सम्बन्धता द्वारा वीरों प्रवेश की अधिकारी सम्बन्धी प्रवेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धता प्रीतिपूर्वक सम्बन्धता की जाती होगी।
- ✓ विधियों इन कार्यवाही पर्याप्तता सम्बन्धित करने वाली सम्बन्धी को अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उचित प्रवेश सम्बन्धता द्वारा प्रवेश करने को विधि सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा हेतु सम्बन्धित जाति होने को पूर्ण विधि/विधि से अनुसूचित जाति एवं परीक्षा सम्बन्धता को सम्बन्धता सम्बन्धता होगा सम्बन्धता परीक्षा प्रवेश की (सम्बन्धित/विधि के सम्बन्ध में सम्बन्धता सम्बन्धता स्तर पर वीरों प्रवेश) अनुसूचित गयी प्रवेश की जायेगी।
- ✓ प्राप्त प्रवेश सम्बन्धता द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सम्बन्धता सम्बन्धता विधियों का अनुसूचित जाति सम्बन्धता होगा।
- ✓ सुल्हा को अपने सम्बन्धता पर सुल्हा की सम्बन्धता सुल्हा प्रवेश सुल्हा की वैधानिक पुनर्विधि, सम्बन्धता, सम्बन्धता, सम्बन्धता, प्राप्त विधि प्राप्त जाति सुल्हा, सम्बन्धता सुल्हा आदि का विधि सम्बन्धता सम्बन्धता होगा।
- ✓ सुल्हा को विधि-अतिरिक्त हेतु अनुसूचित जाति/जाति सम्बन्धता सम्बन्धता को प्राप्त विधि सम्बन्धता को सम्बन्धता में सम्बन्धता सम्बन्धता सुविधि/विधि करने होगी।
- ✓ सुल्हा पर सुविधि/विधि को से विधि सम्बन्धता में प्रस्तावित/सम्बन्धित पर्याप्तता को सम्बन्धता करने हेतु विधि/विधि सम्बन्धी के सम्बन्धता सम्बन्धता सम्बन्धी सम्बन्धित, सुविधि-विधि, सम्बन्धता, सम्बन्धता सम्बन्धता का यदि सुल्हा द्वारा वीरों सम्बन्धता सम्बन्धता में सम्बन्धता में सम्बन्धता किया जाता है और परीक्षा परीक्षा सम्बन्धी होती है कि सुल्हा सम्बन्धता का सम्बन्धता वीरों सम्बन्धता करने को विधि कर रही है तो सम्बन्धता सुल्हा की सम्बन्धता सम्बन्धता विधि करने को अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धता वीरों का अनुसूचित न विधि करने सम्बन्धता वीरों का सम्बन्धता विधि जाने को विधि 4 विधि/विधि अनुसूचित सम्बन्धता सम्बन्धी की जायेगी।

(सु सम्बन्धता विधि)
सुम्बिता

पुस्तक- धारिता/परिधि सम्बन्धता/2020/ 1072-3141

उद् दिनांक: 15-09-2020

प्रतिवर्ष-सम्बन्धता/निर्देश, एम्प्लॉयमेंट/एम्प्लॉयमेंट इन्स्टीट्यूट वीर कार्यवाही एवं वीरों/विधि, विधि सम्बन्धता-2 सम्बन्धता, सम्बन्धता।

(सु सम्बन्धता विधि)
सुम्बिता